पंचायतीराज : महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता

डॉ0 नीता,

एसोसिएट प्रोफेसर, इतिहास विभाग,
नारी शिक्षा निकेतन,
स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
लखनऊ।

''स्त्री पुरुष की संगिनी है जिसकी बौद्धिक क्षमताएँ पुरुष की बौद्धिक क्षमताओं से किसी भी तरह कम नहीं है। पुरुष की प्रवृत्तियों में उन प्रवृत्तियों के प्रत्येक अंग एवं उपांग में उसे भाग लेने का अधिकार है। स्वाधीनता का भी उसे उसे उतना ही अधिकार है जितना पुरुष को।''

महात्मा गांधी

इतिहास इस बात का साक्षी है कि दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है जहॉ सृष्टि की मेरुदण्ड महिलाओं को हाशिए पर रखकर विकास का लक्ष्य सम्भव हुआ हो। महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़े बिना किसी समाज, राज्य एवं देश के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री **पं0 जवाहरलाल नेहरु** का कहना था, **''जब स्त्रियॉ आगे बढ़ती हैं तो परिवार आगे बढ़ता है, गॉव आगे बढ़ता है और राष्ट्र भी अग्रसर होता है।''** महात्मागांधी ने लिखा है, ''नारी ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट कृति है, वह अहिंसा की अवतार है तथा अपने धार्मिक आग्रहों के परिप्रेक्ष्य में वह पुरुष जाति से कोसों आगे है।'' शास्त्रों में तो यहॉ तक कहा गया है कि '' यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमते तत्र देवता, यत्र नार्यः न पूज्यते निष्फलाः सर्वाक्रियाः। अर्थात् जहॉ नारियों की पूजा होती है, वहॉ देवता निवास करते हैं और जहॉ नारियों की पूजा अथवा सम्मान नहीं होता, वहॉ सारी क्रियाएँ निष्फल हो जाती है।

यह सर्वविदित है कि हमारे देश की जनसंख्या का लगभग आधा भाग 48.53 प्रतिशत महिलाएँ हैं, किन्तु राजनीति में महिलाओं की भागीदारी अपेक्षाकृत बहुत कम है। राष्ट्रीय राजनीति में तो महिलाओं की भागीदारी स्वतंत्रता प्राप्ति के 72 वर्षों बाद भी 14.5 प्रतिशत ही हो पायी हैं 73वें संविधान सशोधन द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत स्थान आरक्षित किये जाने के प्रावधान ने पंचायतों में महिला भागीदारी की दिशा में मील के पत्थर का काम किया है।

भारत में यद्यपि वैदिक काल से ही महिलाओं को बराबरी का दर्जा प्राप्त था। शिक्षा का समान अधिकार मिला था। तभी तो वे ज्ञानी, विद्वान, पंडित और विचारका हुआ करती थी। गार्गी, मैत्रेयी, अपाला, घोषा ऐसी ही महिलाओं के उदाहरण हैं। सम्पत्ति पर भी उनका समान हक था। इसका उल्लेख आपस्तम्ब धर्मसूत्र 2/29/3 में मिलता है। घर की स्वामिनी होने के बावजूद उनका कार्य क्षेत्र घर तक सीमित नहीं था। वे घर के बाहर भी निकलती थी। क्षत्रिय स्त्रियों को तो युद्ध में सारथ्य करने का अधिकार था। वे सभाओं और राजनीतिक गतिविधियों में भी सक्रिय रुप से सहभाग करती थी। वैदिक धर्मग्रन्थों के अध्ययन से हमें यह भी जानकारी मिलती है कि महिलाएँ, 'विद्थ' जिसे हम भारतीय आर्यों की सबसे पुरानी जनसभा कह सकते हैं, तथा 'सभा' और 'समिति' में भी बैठती थीं तथा राजनीतिक वाद–विवाद में

भाग लेती थीं। 'ऋग्वेद' से जानकारी मिलती है कि 'योषा' विदथ में शरीक हुई थी –

"गुहा चरन्ती मनुषो न योषा सभावती विदथ्येव सवाक्।"

लेकिन मध्यकालीन युग जिसे महिला अधिकार की दृष्टि से अंधकार युग भी कहा जाता है, में महिलाओं को अधिकार और सम्मान विहीन कर दिया गया। उसे घर की चाहारदीवारी में न केवल बन्दकर दिया गया बलिक मानवीय अधिकारों के अतिरिक्त समस्त राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया। परिणामस्वरुप अशिक्षा, बाल–विवाह, बहु–विवाह, दासी–प्रथा जैसी कुप्रथाओं का जन्म हुआ और नारी मात्र दासी व भोग्या बनकर रह गयी।

भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन में श्रीमती एनी बेसेन्ट, सरोजनी नायडु, कस्तुरबा गांधी, कमला नेहरु, विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी आदि महिलाओं का अनूठा योगदान रहा है।

स्वतन्त्रता–प्राप्ति के पश्चात आजाद भारत की खुली हवा में महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिलाने व सामाजिक, आर्थिक राजनीतिक क्षेत्रों में उनकी भागीदारी बढ़ाने के अनेक प्रयास किये गये हैं। संविधान की प्रस्तावना नीति–निदेशक तत्वों, मूल अधिकारों और कर्तव्यों तथा विशेष रुप से अनुच्छेद 15 तथा 16 में समानता हेतु प्रावधान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त समय–समय पर निर्मित विभिन्न कानूनों द्वारा भी सदियों से सलीब पर चढ़ी स्त्री को उतारने का प्रयास किया गया। इनमें बाल–विवाह निषेध अधिनियम, 1976, विशेष विवाह अधिनियम 1954, दहेज निषेध अधिनियम, 1961 औषधि द्वारा गर्भ समापन अधिनियम, 1971 सती निवारण अधिनियम, 1987 आदि मुख्य है।

लेकिन इससे महिलाओं की स्थिति में, विशेष रुप से उनकी राजनीतिक स्थिति में अधिक अन्तर नहीं आया। आजादी के 72 वर्ष बीत जाने के बाद भी राष्ट्रीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है। पहली लोकसभा में जहॉ महिलाओं की भागीदारी 5 प्रतिशत थी, वहीं 17वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी लगभग 14.5 प्रतिशत 78 महिलाएँ तक ही पहुँच पायी हैं। जबकि अमेरिका में यह 32 प्रतिशत तथा पड़ोसी देश बांग्लादेश में 21 प्रतिशत है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात देश के सर्वोच्च पदों जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल व अन्य महत्वपूर्ण पदों को महिलाओं ने सुशोभित किया है, किन्तु इनकी संख्या अत्यधिक न्यून रही है।

अतः पंचायतीराज सम्बन्धी 73वॉ संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पारित हुआ। इसके अन्तर्गत महिलाओं को पंचायतीराज व्यवस्था के प्रत्येक स्तर पर एक तिहाई आरक्षण देने की व्यवस्था की गयी। वर्तमान में आन्ध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा व उत्तराखण्ड में पंचायतों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने की व्यवस्था की गयी है। इसी व्यवस्था के परिणाम स्वरुप सम्पूर्ण देश की पंचायत व्यवस्था में आज 31 लाख से अधिक चुने हुए प्रतिनिधि, 180000 क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधि तथा 17527 जिला पंचायत प्रतिनिधि सहित कुल 3100804 पंचायत प्रतिनिधि है। इन पंचायत प्रतिनिधियों में 1292203 महिलाएँ ग्राम पंचायतों में 75620 महिलाएँ क्षेत्र पंचायतों में तथा 8091 महिलाएँ जिला पंचायतों में प्रतिनिधित्व कर रही हैं। इस प्रकार कुल 1375914 महिलाएँ पंचायतों में प्रतिनिधित्व कर रही हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर महिला प्रतिनिधियों का प्रतिशत 47.39 तथा मध्यवर्ती स्तर पर 42 एवं जिला स्पर पर 46. 16 प्रतिशत है। पंचायतों में कुल 13 लाख 75 हजार 914 महिला प्रतिनिधियों का वर्चस्व है जिसमें से कुल 80 हजार से ज्यादा (तीन स्तरों पर) महिलायें अध्यक्ष हैं।

केवल उत्तर प्रदेश में कुल 826458 निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों में लगभग 33 प्रतिशत अर्थात् 272733 महिलाएँ हैं, जिसमें से लगभग 20000 (तीनों स्तरों पर) महिलाएं अध्यक्ष हैं।

भारत में पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित महिला प्रतिनिधि : मार्च 2018 के अनुसार –

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	निर्वाचित प्रतिनिधि	निर्वाचित महिला प्रतिनिधि	प्रतिशत
आन्ध्र प्रदेश	156050	78025	50.00
अरुणाचल प्रदेश	9389	3658	38.99
असम	2682	013410	50.00
बिहार	127391	57887	45.44
छत्तीसगढ़	170285	93287	54.78
गोवा	1564	516	32.99
गुजरात	144016	71988	49.99
हरियाणा	70035	29499	42.12
हिमाचल प्रदेश	28723	14398	50.13
झारखण्ड	60782	30757	50.60
कर्नाटक	104967	50892	48.48
केरल	18372	9630	52.42
मध्य प्रदेश	392981	196490	50.00
महाराष्ट्र	240122	121490	50.60
मणिपुर	1723	868	50.38
मिजोरम	3502	828	23.64
उड़ीसा	107487	53551	49.82
पंजाब	97180	32393	33.33
राजस्थान	124854	70527	56.49
सिक्किम	1096	548	50.00
तमिलनाडु	117599	39975	33.99
त्रिपुरा	6646	3006	45.23
तेलंगाना	103468	51735	50.00
उत्तर प्रदेश	826458	272733	33.00
उत्तराखण्ड	64606	35957	55.66
पष्चिम बंगाल	59402	30157	50.77
ए0 एण्ड एन0 द्वीप समूह	858	302	35.20
चण्डीगढ़	169	58	34.32
दादरा नगर हवेली	136	47	34.56
दमनदीव	172	92	53.49
लक्षद्वीप	110	41	37.27
योग	3100804	1375914	44.37

पंचायतों के माध्यम से अनेक महिलाएँ जैसे – फातिमा बी (आन्ध्र प्रदेश), सविता बेन (गुजरात), सुधा पटेल (गुजरात), गुड़िया बाई (मध्य प्रदेश) आदि जैसी हजारों महिलाएँ है जिन्होंने पंचायतों का नेतृत्व सम्हालने के पश्चात ग्रामीण विकास के अनेक सामाजिक एवं आर्थिक कार्यों को आगे बढ़ाया है। केरल में कोडाखरी नामक एक पंचायत है जिसके सभी पदों पर महिलाएँ विराजमान हैं।

पंचायतों में इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं के आने से जमीनी स्तर पर काफी बदलाव हुए हैं। पूर्व पंचायतीराज मंत्री मणिशंकर अय्यर बार–बार कहते हैं कि भारत में एक मौन लोकतांत्रिक क्रांति हो रही है, जो अभी राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक रुप से भले ही दिखाई नहीं दे रही है पर उसकी धीमी ऑच भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बना रही है। इतना ही नहीं यह क्रांति देश में सत्ता विमर्श के ढाँचे में भी बदलाव ला रही है। पंचायत स्तर पर इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी ने स्थानीय स्तर पर सामुदायिक जीवन और उसकी चेतना तथा संस्कृति में भी परिवर्तन लाया है। इन निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों में दलित, आदिवासी, पिछड़ी जाति तथा मुस्लिम महिलाएँ भी है। इन महिलाओं ने सत्ता के जातीय समीकरण को ही नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक समीकरण को भी बदल दिया है।

प्रारम्भ में जब पंचायतों में महिलाओं हेतु आरक्षण प्रदान किया गया और उन्हें चुनाव लड़ने हेतु प्रोत्साहित किया गया, तब समाज के कुछ वर्गों द्वारा इसे गम्भीरता से नहीं लिया गया और महिलाओं को सिर्फ पुरुषों की कठपुतली माना गया। परन्तु आज समय के साथ धीरे–धीरे महिलाओं के अपनी क्षमताओं का अहसास हो रहा हैं। आज महिलायें सामाजिक विकास व अपनी पहचान बनाने हेतु सक्रिय रुप से राजनैतिक क्षेत्र में आ रही हैं।

पंचायतों में राजनैतिक सहभागिता से महिलाओं के आत्म विश्वास में वृद्धि हुई है और वे स्वयं के विकास से जुड़े हुये मुद्दों पर आज मजबूती से आवाज उठा रही हैं। पंचायत में पदाधिकारी बनने से महिलाओं का परिवार तथा आस–पास के क्षेत्र में सम्मान बढ़ गया है और जो पुरुष महिलाओं के साथ गैर बराबरी का व्यवहार करते थे, वे भी आज महिलाओं के द्वारा दिये जाने वाले सुझावों व निर्णयों को मान रहे है। जिस स्थानों पर महिला सरपंच चुनी गयी हैं, वहॉ पंचायतों में भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में मदद मिली है। महिला एवं बाल विकास तथा अन्य समाज कल्याण से सम्बन्धित योजनाओं व कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है।

यद्यपि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता के मार्ग में अनेक बाधाएं आज भी विद्यमान हैं, जैसे निरक्षरता, पर्दा प्रथा, महिलाओं की पुरुषों पर निर्भरता, दोहरे सामाजिक मूल्य, पारम्परिक सामाजिक पृष्ठभूमि, महिलाओं में झिझक, अज्ञानता, आर्थिक पिछड़ापन, जाति व्यवस्था तथा महिला प्रतिनिधियों के प्रति होने वाली हिंसा आदि, जिससे महिलाएँ उतने अच्छे ढंग से अपनी सहभागिता सुनिश्चित नहीं कर पा रहीं हैं जितना होना चाहिए।

जाहिर है कि सत्ता के क्षेत्र में पहली बार पर्दापण करने के कारण बहुत सी महिला पंच या सरपंच अनुभवहीन हैं। उन्हें सरकारी नियमों, कायदों और कानूनों की सम्यक जानकारी नहीं है। बहुत सी महिलाएँ अशिक्षित भी हैं। इस कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार उनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाती है जिनमें शामिल होकर विभिन्न नियमों और कानूनों की जानकारी पाने के साथ–साथ वे एक दूसरे का अनुभव बॉट सकती हैं। इससे वे विभिन्न समस्याओं से निपटने के लिए अलग–अलग तरीकों को समझ सकती है।

इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सुचारु तथा व्यापक बनाने की जरुरत है जिससे वे गॉव तथा देश के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विकास की वास्तविक संवाहक बन सकें।

संदर्भ ग्रन्थ

1. दिव्या पाण्डे, '6महिला उत्पीड़न के खिलाफ कानूनी संरक्षण'', योजना मार्च 2009, पृ0–42
2. नाटाणी, प्रकाश नारायण, 'महिला जागृति और कानून', आविष्कार पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स जयपुर–2002 पु0 37
3. बसु दुर्गादास, ''भारत का संविधान–एक परिचय'', बाधवा एण्ड कम्पनी, 2001 पु0 271
4. वर्मा, सरोज कुमार, ''सशक्तीकरण के भारतीय संदर्भ'', योजना, अक्टूबर – 2008, पृ0 24
5. Census of india – 2011
6. ऋग्वेद 1.16 7.3 उद्धृत डॉ0 राम शरण शर्मा, प्राचीन भारत में राजनीतिक विचार व संस्थाएँ, पृ0 92
7. आनंद, निर्मल कुमार, ''पंचायती राज संस्थाओं में महिलाएं'' कुरुक्षेत्र, मई 2007, पृ0 44
8. द हिन्दू, नई दिल्ली, 30 मई 2019।
9. Ministry of panchayati raj, "woman reservation in panchayatiraj", press information bureau government of india retrieved 22 march 2014
10. http://lgdirectory.gov.in Report generatedon 18/04/2019
11. Ministry of panchayatiraj, compilation as on 27/03/2018
12. Ministry of panchayatiraj, compilation as on 27/03/2018
13. अग्रवाल, एम0 एल0 और मोहन, मयंक, ''पंचायती राजः महिलाओं की भूमिका'', कुरुक्षेत्र, मार्च–2005, पृ0–29